

जेपीआर5-548

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर
कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वा.)

क्र0जेपीडी/मु.अ.(वा.)/सी.।/एफ.4(210)पार्ट-18/प्रे01157 जयपुर, दि0 22.05.09

आदेश

विषय - "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजनान्तर्गत" ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के बारे में।

वर्तमान में प्रचलित मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाते हैं। उक्त योजना के विभिन्न नियम व प्राक्धान पूर्व में जारी आदेश क्र0 प्रे0 1145 दि0 29.04.08(जेपीआर5-486), प्रे0 405 दि0 03.05.08(सीओ- VI), प्रे0 1934 दि0 29.07.08(जेपीआर5-485), प्रे0 1978 दि0 02.08.08(जेपीआर5-486), प्रे0 2439 दि0 03.10.08(जेपीआर5-504) के द्वारा लागू किये गये। उपरोक्त विषय में डिस्कॉम कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक दिनांक 20.05.09 में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना की अवधि 31.03.2010 तक बढ़ाई जाती है।
2. मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में ऐसी ढाणियां जो कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट-2003 में चिन्हित नहीं हैं उनके आवेदन पत्र दिनांक 31.03.09 तक ही लिये जाने हैं। इन कनेक्शनों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में कनेक्शन दिया जाना है।
3. नेशनल सर्वे रिपोर्ट-2003 में चिन्हित ढाणियों से घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.03.09 के पश्चात भी प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इन ढाणियों में घरेलू कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जायें।
4. पद 2 व 3 में वर्णित चिन्हित एवं अचिन्हित ढाणियों के घरेलू कनेक्शनों के आवेदन पत्रों को वर्ष 2009-10 में कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

22.5.2009

(एन0 एम0 सरीन)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)

Superintending

R. R. No 970

XBN(IT/CR)

(IT & CRP.)

3.6.09

Estt/Estt/PA

(IT & CRP)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (वित्त) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियंता (संभाग/आर.पी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/कोटा
4. उप मुख्य अभियंता (एम.एम) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विजीलेन्स) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
8. उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको जयपुर
9. अधीक्षण अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम, _____
10. सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी () जयपुर डिस्कॉम, _____
12. अधिशाषी अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम _____
13. अधिशाषी अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम _____ को उनके क्षेत्राधिकार वाले सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता / उप खण्डीय लेखाकार / लेखाकार के लिये 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
14. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
15. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेन्स) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
16. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम / राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर
19. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रा.वि.प्र.नि. जयपुर
20. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर.
21. निजी सहायक - प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर
22. मिडिया सल्लाहकार, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
25. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीएडब्ल्यू-III) ऐजी आडिट, शेड न. 4/1 जयपुर
26. सहायक अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम _____
27. क्षेत्रीय कमिश्नर, लोकपाल, मिनी सचिवालय, कलैक्ट्री के पास, जयपुर
28. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी. एवं सीआरपी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निगम के आदेश को निगम की वेबसाइट पर डालने हेतु।
29. _____

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

EXIT-CK